न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद /20 (2021/00417)

1. भवंरलाल पुत्र रामदेव जाति मीणा निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर राज. ----प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर ---- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम

-:: आदेश ::-

दिनांक 27.10.2021

पत्रावली पेश हुई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नायकी तहसील केकडी के खाता स. नया पुराना 265-239 के खसरा नम्बर 1624/939 रकबा 0.32 है. किस्म बारानी 1 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त आराजी रजिस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2072-75 से प्रार्थी के नाम बतौर खातेदारी काश्तकार दर्ज चली आ रही है।

प्रार्थी की आराजी के पश्चिमी दिशा की तरफ खसरा नम्बर 941 सरकारी भूमि के पश्चात खसरा नम्बर 679 किस्म गै.मु.रास्ता है। आराजी खसरा नम्बर 1624/939 में आने जाने का रास्ता आराजी खसरा नम्बर 679 किस्म गै.मु. रास्ता में से होकर सरकारी भूमि खसरा नम्बर 941 में से होते हुये प्रार्थी की आराजी के पश्चिमी दिशा में आता है। जो अलावा प्रार्थी के आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। इसी कदीमी रास्ते का उपयोग प्रार्थी व उसके परिजन कदीम से निर्बाध रूप से करते आ रहे है। कदीमी रास्ते को खुलासा करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की आवश्यकता हुई । प्रार्थी 30 फुट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 679 मेसे होकर खसरा नम्बर 941 में से होकर आराजी खसरा नम्बर 940 के लगवा प्रार्थी की आराजी तक तरमीम किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। जिसके लिये प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि की डी.एल.सी.दर से राजस्व विभाग में राशि जमा करवाने को तत्पर एंव तैयार है। प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया ।

तहसीलदार केकडी पेरोकार सरकार ने अपने पत्रांक /राजस्व/2021/1190/दिनांक 26.10.2021 द्वारा जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की है। जिसके अनुसार ग्राम नायकी के आराजी खसरा नम्बर 1624/939 मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 941 में से रास्ता दिलाने हेतु वाद दायर किया है ग्राम नायकी का खसरा नम्बर 1624/939 रकबा 0.32 है. भूमि भंवरलाल पुत्र रामदेव मीणा सा.बघेरा के नाम दर्ज है। खातेदार वर्तमान में ग्राम नायकी के खसरा नम्बर 941 में से रास्ते के रूप में आने जाने हेतु उपयोग कर रहा है। प्रार्थी खसरा नम्बर 679 किस्म गै.मु. रास्ता से लगवा खसरा नम्बर 941 सरकारी भूमि में से खसरा नम्बर 1624/939 में आ-जा रहा है। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे सुविधाजनक एंव निकटतम रास्ता है। वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई मौके पर रास्ता नजदीक नहीं है। खसरा नम्बर रास्ते में पडने वाली भूमि की कुल लम्बाई 32 X 9.14 = 292.48 वर्गमीटर भूमि पडती है। जिसपर रास्ता दिया जाना है। प्रार्थी रकम जमा करवाने में सहमत है। ग्राम नायकी की डी.एल.सी. दर 982692 प्रति. है. है। रास्ते में पडने वाली भूमि की कुल राशि 28742/- बनते है। जिसकी दुगनी राशि 54784 रूपये बनती है। लाल स्याही से खसरा नम्बर 941 में प्रस्तावित रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:20:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्राथी वकील को सुना प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराया ।
पेरोकार सरकार ने अपने वितर्क प्रस्तुत करते हुये पेरोकार सरकार ने बताया कि तहसीलदार
केकडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। रिपोर्ट अनुसार
ग्राम नायकी के आराजी खसरा नम्बर 1624 / 939 मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 941 में से
रास्ता दिलाने हेतु वाद दायर किया है ग्राम नायकी का खसरा नम्बर 1624 / 939 रकबा 0.32 है.
भूमि भंवरलाल पुत्र रामदेव मीणा सा.बघेरा के नाम दर्ज है। खातेदार वर्तमान में ग्राम नायकी के
खसरा नम्बर 941 में से रास्ते के रूप में आने जाने हेतु उपयोग कर रहा है। प्रार्थी खसरा नम्बर
679 किस्म गै.मु. रास्ता से लगता खसरा नम्बर 941 सरकारी भूमि में से खसरा नम्बर
1624 / 939 में आ–जा रहा है। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे सुविधाजनक एंव निकटतम रास्ता है।
वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई मौके पर रास्ता नजदीक नहीं है। खसरा नम्बर रास्ते में पडने
वाली भूमि की कुल लम्बाई 32 X 9.14 = 292.48 वर्गमीटर भूमि पडती है। जिसपर रास्ता दिया
जाना है। प्रार्थी रकम जमा करवाने में सहमत है। ग्राम नायकी की डी.एल.सी. दर 982692 प्रति.
है. है। रास्ते में पडने वाली भूमि की कुल राशि 28742 / – बनते है। जिसकी दुगनी राशि 54784
रूपये बनती है। लाल स्याही से खसरा नम्बर 941 में प्रस्तावित रास्ता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार केकडी द्वारा ग्राम नायकी के खसरा नम्बर 941 सरकारी भूमि में से खसरा नम्बर 1624 / 939 में आ–जा रहा है। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे सुविधाजनक एंव निकटतम रास्ता है। वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई मौके पर रास्ता नजदीक नहीं है। खसरा नम्बर रास्ते में पडने वाली भूमि की कुल लम्बाई 32 X 9.14 = 292.48 वर्गमीटर भूमि पडती है। जिस पर रास्ता दिया जाना है। प्रार्थी रकम जमा करवाने में सहमत है। ग्राम नायकी की डी.एल.सी. दर 982692 प्रति. है. है। रास्ते में पडने वाली भूमि की कुल राशि 28742 / – बनते है। जिसकी दुगनी राशि 54784 रूपये बनती है। प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवाने पर उक्त रास्ता की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाने की कार्यवाही तहसीलदार केकडी द्वारा की जावें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:20:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner